खाकी

6 दिसम्बर 1992, यानी न्याय का विध्वंस

विकास नारायण राय

सरकारों के मुंह पर पुलिस का खून तो लगा ही हुआ था अब अदालतों का खून भी लग गया है। कहते हैं ब्रिटिश राज ने दुनिया भर में फैले अपने औपनिवेशिक साम्राज्य को चलाने के लिए उतना पुलिस की गोली-लाठी का सहारा नहीं लिया जितना अपनी अदालतों और कानूनों का। मोदी सरकार की छत्रछाया में बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में भी यही समीकरण फलीभूत हुआ है।

इस हफ्ते, न्याय के नाम पर और भी काफी कुछ बेहद अफसोसजनक देखने को मिला है। सोचिये, ये दो सवाल जो आज सभी की जबान पर हैं, कानून-व्यवस्था के हैं या राजनीतिक?

जैसा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ़रमाया, किसान क़ानूनों के विरोध में राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट पर ट्रैक्टर जलाने से क्या देश के किसान का अपमान हुआ है?

हाथरस, यूपी में बलात्कार-हत्या की दरिन्दगी का शिकार दलित लड़की के मृत शरीर को प्रशासन द्वारा निकट परिवार की अनुपस्थिति में जबरन रात के अँधेरे में जला देने से क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राम-राज्य का मान बढ़ा है कि उन्होंने चूँ तक नहीं की?

यानी, पीएम से सीएम तक की दिलचस्पी राजनीति करने में है, न कि स्वस्थ समाज व्यवस्था की दिशा में काम करने में या संवेदी क़ानून व्यवस्था स्थापित करने में।

उचित होगा कि 6 दिसंबर, 1992 की तारीख़ को भी अब सीधे न्याय के विध्वंस से जोड़ कर देखा जाए। भारत के सुप्रीम कोर्ट तक ने बाबरी मस्जिद विध्वंस को गत नवम्बर में ही आपराधिक दुष्कृत्य कहा था और भारत सरकार की सीबीआई ने 28 वर्ष तक दिन के उजाले और शासन, प्रशासन, मीडिया और लाखों की उपस्थिति में हुए जघन्यतम अपराध का यह मुक़दमा चलाया था; 30 सितम्बर के फ़ैसले के बाद वह सब मात्र न्याय के शव को ढोना सिद्ध हुआ है।

अपने पुलिस जीवन के शुरुआती वर्षों में सुना किस्सा याद आ गया; इसे अमूमन हर पुलिस बैच ने सुना होगा। एक बेहद भ्रष्ट पुलिस अधिकारी ने दोस्तों में शर्त लगाकर किसी प्रभावशाली व्यक्ति से उसका काम करने के एवज में घूस ले ली। समय दिन के 12 बजे, स्थान शहर का मुख्य बाजार और आस पास की तमाम स्ट्रीट लाइट जली हुयीं। बाद में प्रभावशाली व्यक्ति ने अपना काम निकल जाने पर शिकायत दर्ज कराई। मुकदमे में आरोपी को इस आधार पर बाइज्जत बरी कर दिया गया कि घटनाक्रम अविश्वसनीय है, पुलिस अफसर इस तरह से घूस ले ही नहीं सकता।

दरअसल, अयोध्या केस के तमाम अभियुक्तों को बरी कराने की क़वायद में मोदी सरकार की सीबीआई ने अपनी एक विशिष्ट जाँच एजेन्सी होने की प्रतिष्ठा उसी तरह धूल में मिला दी है जैसे इसी सरकार की एक अन्य जाँच एजेन्सी एनआईए ने समझौता केस में की थी। दोनों मामलों के ट्रायल में, मोदी सरकार का हिंदुत्व एजेंडा इन जाँच एजेंसियों पर हावी रहा। उन्होंने अदालती सुनवाई के दौरान जानबूझकर सबूत और गवाह बिगाड़े और सुनिश्चित किया कि आवश्यक साक्ष्य भी आधे-अधूरे ही पेश किए जाएँ। इन फ़ैसलों का सम्मान करने की हिम्मत जुटाने के लिए आपको मानसिक रूप से अंधा-बहरा-गूँगा बनना पड़ेगा!

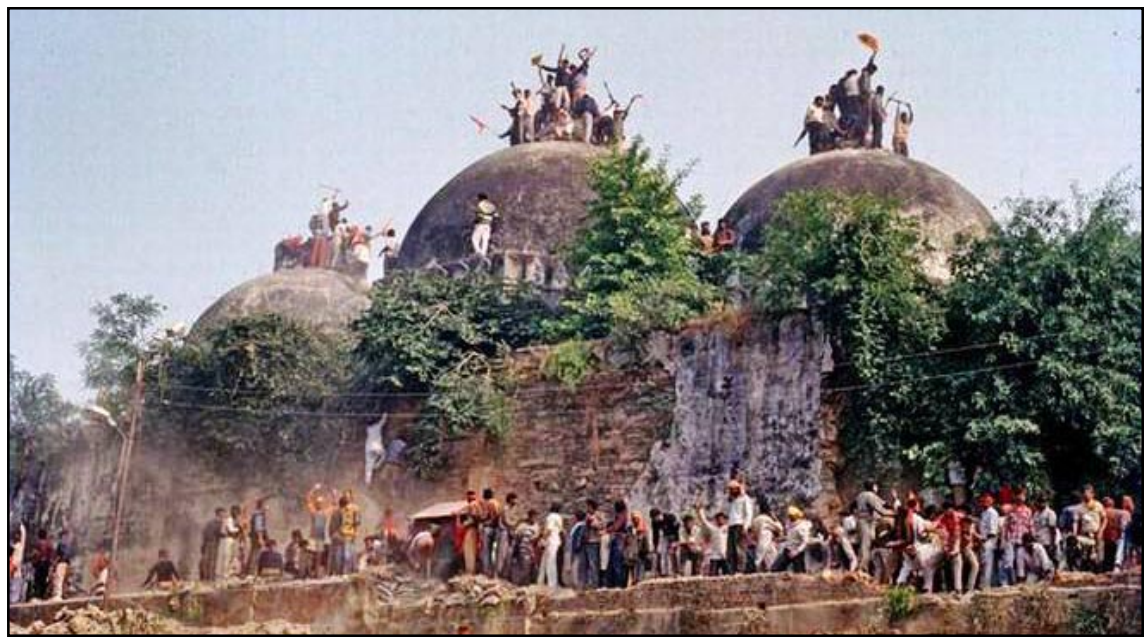

6 दिसम्बर, 1992 में अयोध्या का यह दृश्य साजिश को बताने के लिए काफी है

सोनीपत, हरियाणा के बड़ोदा थाना क्षेत्र में 29 जून की रात गोहाना-जींद मार्ग पर दो गश्त पर निकले पुलिसकर्मी हत्या का शिकार बने। उनके शरीर पर चाकुओं के घाव थे; पुलिस ने अगली शाम तक एक आरोपी को जींद में मुठभेड़ दिखाकर मार गिराया। अब, मृतक आरोपी की मित्र लड़की का परिवार और तमाम महिला एक्टिविस्ट धरने पर हैं। उनके अनुसार, घटना के समय आरोपी अपनी मित्र के साथ था जब दोनों पुलिसकर्मी अचानक वहां धमक गए और लड़की को हवस का शिकार बनाना चाहा, जबकि आरोपी द्वारा उसे बचाने के क्रम में पुलिसकर्मी मारे गए।

पुलिस का संख्या बल बढ़ाने, उसे टेक्नॉलजी कुशल बनाने, साजो-सामान से लैस करने और शारीरिक रूप से फिट होने की बात अक्सर की जाती है लेकिन पुलिसकर्मी को संवेदी बनाने की नहीं। जबकि यह सवाल जितना आम नागरिक का है उतना ही स्वयं पुलिस का भी। ऐसे प्रकरण में न सिर्फ़ अधिकार में मदमस्त वे चंद पुलिसकर्मी शामिल हैं जो क़त्ल और बलात्कार को अपनी बपौती मानते हैं बल्कि कठघरे में समूची प्रशासन प्रणाली है जो इस आपराधिक गिरोहबंदी को बढ़ावा देती है। अदालतों के उत्तरोत्तर सरकारी तंत्र की भेड़-चाल में शामिल हो जाने और राजद्रोह, एनएसए, यूएपीए, एन्काउन्टर जैसे कानूनों की आड़ से स्वतंत्र भारत की सरकारें भी जनता के विरुद्ध औपनिवेशिक हथकंडे अपनाने में एक दूसरे से बढ़कर गुल खिला रही हैं।

हमेशा लगता था कि यह कोरा मुहावरा ही रहा होगा, सचमुच में ऐसा थोड़े न हुआ होगा। भला रोम जल रहा हो और वहाँ का सम्राट नीरो बांसुरी बजाए? कोई शासक, कैसा भी घटिया से घटिया शासन भी क्या न्याय के नाम पर ऐसा कर सकता है? लेकिन इन कठिन दिनों में टीवी पर देखा कि इस रेकार्ड बेरोज़गारी, किसान रोष, मज़दूर शोषण, कोरोना आपदा के दौर में देश का प्रधानमंत्री सहजन की रेसिपी अपने नामी मुसाहिबों को उसी नीरो वाली तल्लीनता से बखान कर रहा था।

(पूर्व डायरेक्टर, नेशनल पुलिस अकादमी, हैदराबाद)

राष्ट्रीय

बहुसंख्यक सनातनी भारतीय लोकतंत्र के लिए बनते जा रहे हैं चुनौती

यूसुफ किरमानी

हाथरस गैंगरेप, हत्या और और बाबरी मस्जिद गिराये जाने पर आया अदालत का फैसला क्या आपस में कहीं जुड़ता है? दोनों घटनाओं को अगर तथाकथित महान भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में देखें तो जुड़ता है। और इन दोनों ही घटनाक्रमों ने इस कथित लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौतियां पेश कर दी हैं। हाथरस गैंगरेप में न सिर्फ "बहुसंख्यक सनातनी" लोगों की नैतिकता का शीराजा बिखर गया है बल्कि सत्ताधारियों के जरिए इसे मिल रहे संरक्षण का पर्दाफाश भी हुआ है।

"बहुत हुआ नारी पर वार अबकी बार भाजपा सरकार" जैसे पोस्टर लगाकर सत्ता हथियाने वाली पार्टी ने रेप के अपराधियों को संरक्षण देने का उद्योग तो सत्ता में आते ही शुरू कर दिया था। उन्नाव रेपकांड हम लोग बहुत जल्दी भूल गए। कुलदीप सिंह सेंगर नामक उन्नाव का नेता कांग्रेस में मामूली पद से होता हुआ पहले बसपा, फिर सपा और अंत में भाजपा से भी विधायक बना। इस शख्स की राजनीतिक यात्रा के दौरान सभी राजनीतिक दल इसकी कारगुजारियों को संरक्षण देते रहे लेकिन भाजपा विधायक बनने के बाद इसकी कारगुजारियां चरम पर पहुंचीं। बसपा और सपा ने इसे टिकट देते समय कभी इस शख्स की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश नहीं की। 2017 में यही सेंगर जब भाजपा में आया और चुनाव जीता तो "बहुसंख्यक सनातनी सरकार" में इसके अरमान चरम पर पहुंचे। विधायक बनने के बाद इसका रसूख देखते हुए एक लड़की इस शख्स के पास नौकरी मांगने पहुंची। विधायक ने नौकरी देने के नाम पर उससे रेप किया। मामले का खुलासा हुआ। इस कांड को दबाने के लिए पीड़ित लड़की के पिता समेत कई परिवारजनों की सड़क हादसों में जान ले ली गई। ये सड़क हादसे

खानदान से टूटा नहीं भाजपा का रिश्ता : एक कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी के साथ कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी

सेंगर ने प्रायोजित कराये। भाजपा की थू-थू हुई और भाजपा ने उसे पार्टी से निष्कासित करके पीछा छुड़ाया। लेकिन असलियत में नैतिकता, शुचिता का दम भरने वाली यह पार्टी सेंगर परिवार से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकी। हाल ही में एक फोटो सामने आई जिसमें सेंगर की पत्नी किसी कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री के साथ मंच साझा कर रही थी। सेंगर की पत्नी आज भी भाजपा में है। यह ठीक है कि सेंगर के कुकृत्यों के लिए उसकी पत्नी का कोई दोष नहीं है लेकिन शक तो भाजपा की नीयत पर है। उन्नाव के लोग तो यही समझते हैं न कि सेंगर परिवार आज भी भाजपा के करीब है। चलिए ये तो भाजपा का नैतिक पक्ष हो गया। इस पार्टी के आईटी सेल ने जब महात्मा गांधी के हत्यारे और साजिशकर्ताओं के लिए 2 अक्टूबर को गोडसे जिन्दाबाद का ट्रेंड सोशल मीडिया पर चलाया तो रेपिस्ट खानदान से संबंध रखना मामूली बात है। इस मौके पर मैं यहां ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय को लेकर यूपी में चल रही बहस पर चर्चा नहीं करना चाहता। हाथरस में जिस तरह दलित लड़की के शव को उसके परिवार की गैर मौजूदगी जलाया गया, यह एक फासिस्ट राज की इन्तेहा है।

लेकिन हाथरस गैंगरेप के खिलाफ राजनीतिक और सामाजिक प्रदर्शनों को जिस तरह यूपी में रोका गया, जिस तरह प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के नेता और सांसद राहुल गांधी को हाथरस नहीं जाने दिया गया, उन्हें धक्का देकर गिराया गया, लखनऊ में तमाम प्रदर्शनकारी गिरफ्तार कर लिए गए, वह भाजपा राज में इस कथित महान लोकतंत्र की खूबियां बताने के लिए काफी है। यही भाजपा जब विपक्ष में थी और अन्ना आंदोलन में घुसपैठ कर किस तरह मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का काम हुआ, वो ज्यादा पुरानी बात नहीं है। अगर कांग्रेस भी उस समय यही हथकंडा अपनाती जो आज भाजपा आजमा रही है तो क्या भाजपा कोई आंदोलन, विरोध प्रदर्शन कर पाती। भाजपा यह भूल रही है कि वह सत्ता में हमेशा के लिए नहीं आई है।

इस लंगड़ाते लोकतंत्र में एक कील बाबरी मस्जिद पर आये अदालती फैसले ने भी ठोंक दी है। 6 दिसम्बर 1992 को अयोध्या में हुई जिस घटना को सैकड़ों पत्रकारों ने अपनी नंगी आंखों से देखा हो, उसमें अदालत को कोई साजिश नहीं दिखी। अदालत ने यह भी नहीं देखा कि उस समय आडवाणी की रथयात्रा में क्या-क्या भाषण दिए जा रहे थे, अदालत ने यह भी नहीं देखा कि 5 दिसम्बर 1992 को अटल बिहारी वाजपेयी ने लखनऊ में कारसेवकों की बैठक में क्या कहा था और जिसके वीडियो क्लिप आज भी मौजूद हैं। 6 दिसम्बर को मैं लखनऊ में एक बड़े अखबार में काम कर रहा था, हमारे संवाददाता वी. एन. दास हर दस मिनट बाद लाइव सूचना दे रहे थे कि वहां क्या हो रहा है।

कौन सा गुम्बद कितने बजे गिरा। सुबह से शाम तक गुम्बद गिरते रहे और सामने एक मंच पर आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, नृत्य गोपालदास, अशोक सिंघल समेत तमाम लोग स्थिति का आकलन करते रहे। फोटो जर्नलिस्ट प्रवीण जैन, बीबीसी के संवाददाता मार्क टुल्ली सब झूठे पड़ गए और विशेष सीबीआई अदालत सच्ची साबित हो गई। इत्तेफाक से प्रवीण जैन समेत सारे पत्रकार जिन्दा हैं, इन लोगों ने कई सारी रिपोर्ट लिखी है, कम से कम जज साहब को अपनी जानकारी के लिए ही उसे पढ़ लेना चाहिए। देखा जाए तो हाथरस गैंगरेप कांड से भी गंभीर मसला बाबरी पर आया अदालती फैसला है। लेकिन बहुसंख्यक सनातनियों ने जिस हाथ की सफाई से सारा ताना-बाना बुना है, उसमें अब कोई राजनीतिक पार्टी बाबरी पर आये अदालती फैसले को मुद्दा नहीं बना पायेगी। लेकिन वह दिन जरूर आयेगा जब तमाम जज और अदालतें अपने गिरेबान में झांककर इस फैसले को विवादास्पद बताकर खारिज कर देंगी। इस फैसले से भारतीय लोकतंत्र की नैतिक पराजय हुई है। वह लंगड़ा तो था ही लेकिन इस फैसले ने भारतीय लोकतंत्र को अब लाचार भी बना दिया है। वैसे भारत की तुलना में पाकिस्तान का लोकतंत्र लचर माना जाता है लेकिन उस लचर देश में भी वहां का मीडिया और अदालतें अपने संवैधानिक ढांचे को बचाने का काम जब-तब करती रहती हैं।

अभी शहीद-ए-आजम भगत सिंह के जन्मदिन पर लाहौर हाईकोर्ट में उनका जन्मदिन बहुत शान-ओ-शौकत से मनाया गया। लेकिन भारत में कोई जिन्ना की फोटो लगाना भी पाप समझेगा, जिसकी तारीफ कभी आडवाणी ने करने की हिम्मत दिखाई थी। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट और वहां के तमाम हाई कोर्ट ने जिस तरह पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह परवेज़ मुशर्रफ और पूर्व पीएम नवाज शरीफ़ की मुश्कें कसीं, वो फैसले आज भी मील का पत्थर हैं। किसी सैन्य तानाशाह से टकराना हंसी खेल नहीं है लेकिन वहां के सुप्रीम कोर्ट ने वह भी कर दिखाया।

सिर्फ महान कह देने भर से कोई देश या नेता महान नहीं हो जाता। आपका हर ऐक्शन लोकतंत्र की कसौटी पर कसा जाएगा। वह चाहे भारत हो या चीन हो। अब आप एक लंगड़ाते हुए लचर लोकतंत्र हैं। जहां सिर्फ बहुसंख्यक सनातनियों का बोलबाला है और बाकी सारी नैतिकता, संविधान, मर्यादा सब कुछ कूड़ेदान में डाला जा चुका है।

(वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक)